

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 01/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00005

अपीलांतगण :-

बनाम

रेस्पोडेंटगण :-

1. कैलाश सिंघवी
2. रूची जैन पुत्री कैलाश सिंघवी  
कौम ओसवाल निवासी भगत की  
कोठी, जोधपुर

1. उत्तमजीतसिंह पुत्र दरबारसिंह  
जाति सिक्ख राजपूत, निवासी  
119 ज्योति नगर, सौभागपुरा,  
गिर्वा उदयपुर
2. मनप्रीत कौर पुत्री श्री दरबारा  
सिंह पत्नी हरपालसिंह, जाति  
सिक्ख राजपूत, निवासी अशोक  
नगर उदयपुर
3. परमजीत कौर पुत्र दरबारसिंह  
पत्नी संदीप कुमार, जाति  
सिक्ख राजपूत, निवासी अशोक  
नगर उदयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये  
भूमिधारी तहसीलदार रोहट।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :- अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित उपस्थित  
अधिवक्ता रेस्पाडेंट श्री गजेन्द्र दवे उपस्थित

-:: निर्णय ::-


दिनांक :- 04/02/21

अपीलांत की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम खारडा पटवार हल्का खारडा तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 3628 दिनांक 31.01.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपील म्याद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण जरिये सम्मन तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रोहट से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाधीन आज्ञा कानूनी वाक्यातों के विरुद्ध व साक्ष्यविहीन है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु खसरा नंबर 233 रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नंबर 237/6 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की कृषि भूमि अपीलांत की खरीद खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि आई हुई है। जिस पर पिछले 42 वर्षों से अपीलांत का कब्जा लगातार है जिसकी जगह रेस्पोडेंट का नाम भूमिधारी तहसीलदार ने सहायक कलेक्टर रोहट के निर्णय दिनांक 11.01.2019 प्रकरण संख्या 40/2018 का उल्लेख करते हुए अपीलांत का नाम हटा दिया एवं रेस्पोडेंट की खातेदारी दर्ज कर दी। जबकि सहायक कलेक्टर का आदेश अपीलांत की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जिसे राजस्व अपील अधिकारी महोदय के यहां अपील पेश कर आदेश को स्थगित करवा दिया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश आज रोज प्रभाव में नहीं है इसलिए ऐसे आदेश को निरस्त फरमाया जावे अपीलांत की खातेदारी सही है या नहीं यह तय करना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। उपखण्ड अधिकारी रोहट के नहीं है जब तक अपीलांत का रजिस्टर्ड दस्तावेज अपीलांत का निरस्त नहीं हो जाता तब तक ऐसी खातेदारी राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में जो नामान्तरकरण भरा गया है वह न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण भरते वक्त रेस्पोडेंटगण के हिस्से भी दर्ज कर दिए गए जबकि हिस्सा कस्सी राजस्व रजिस्टर्ड में पूर्व

*[Handwritten Signature]*

जिला कलेक्टर, पाली




में नहीं था। इस प्रकार हिस्सा खोलकर बंटवाड़े का काम भी पटवारी हल्का द्वारा किया गया जो कानूनन अवैध है। पूरे दावे का निस्तारण दो माह में कर दिया। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरसत करावे। अपीलांट प्रथम बार 12.12.2019 को पटवार हल्का के पास प्रधानमंत्री काश्तकार अनुदान की राशि 6000/- रूपये भारत सरकार ने घोषणा की एवं वह जमाबन्दी लेने पटवार हल्का के पास गया तब उन्होंने अपीलांट का नाम दर्ज होना नहीं बताया। सहायक कलेक्टर रोहट के प्रकरण संख्या 40/2018 निर्णय दिनांक 11.01.2019 के बारे में जानकारी दी तो जानकारी होते ही 12.12.2019 को नकले लेने हेतु आवेदन किया व 29.12.2019 को नामान्तरकरण की नकले ली एवं यह अपील 07.01.2020 को पेश की साथ में म्याद प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण ने वक्त बहस कथन किया कि अपील अपीलांट स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3628 न्यायालय सहायक कलेक्टर रोहट के वाद संख्या 40/2018 निर्णय दिनांक 11.01.2019 की पालना में पारित किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2020 को निरस्त कि गई। उक्त आदेश द्वितीय अपील वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में भी विचाराधीन है। जैर अपील नामान्तरकरण न्यायालय के आदेश की पालना में भरा गया है जिसको निरस्त कराये बिना नामान्तरकरण को खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से जैर अपील नामान्तरकरण यथावत रखा जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण जिस आदेश की पालना में पारित किया गया है उक्त आदेश एकतरफा होने से अपीलांट को देरीना जानकारी होना लाजमी हैं इसलिए अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर अपील के सन्दर्भ में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या न्यायालय सहायक कलेक्टर के वाद संख्या 40/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.1.2019 की पालना में पारित किया गया है जिसकी अपील भी वकील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 90/2019 दायर कराई गई थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील RAA द्वारा पारित आदेश क्रमांक 11.08.2020 के द्वारा निरस्त की जा चुकी है एवं वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील विचाराधीन है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण पर तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश मूल आदेश नहीं है तथा धारा 75 के तहत नामान्तरकरण कर तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील ही की जा सकती है जैर अपील नामान्तरकरण सहायक कलेक्टर रोहट के न्यायालय के प्रकरण संख्या 40/2018 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2019 की पालना में भरा गया है जिसके अस्तित्व में रहते इस अपील के जरिये जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3628 दिनांक 31.01.2019 ग्राम खारडा पटवार हल्का खारडा तहसील रोहट को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली

